APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–28)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – कंवलियास

गजानन्द पिता लादूराम ब्राह्मण
निवासी कंवलियास

बनाम

बिरदीचन्द पिता मोहनलाल ब्राह्मण
निवासी– कंवलियास

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 रा.टि.ए

प्रकरण संख्या– 108/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट कंवलियास पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी की इस्तदुआ करने पर वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मूल वाद में आदेश–10 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था। जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में चल रही है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी बिरदीचन्द की और से में अधिवक्ता नियुक्त था, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वारिसान की और से में अधिवक्ता नही हुँ, तथा कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात चाह के बाबत उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन होकर स्थगन है। मैनें वकील उभयपक्ष को सूना। चुँकि प्रकरण में विवादित आराजीयात के प्रकरण से सम्बन्धित आराजीयात के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पीटिशन विचाराधीन होकर स्थगन पारित शुदा है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण का कोई औचित्य नही रहने से इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कंवलियास पर सूनाया गया । सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा	

Scanned by CamScanner